

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

कार्यवाही विवरण

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की विद्या परिषद की 50वीं बैठक दिनांक 18 नवंबर 2014 को मुख्यालय स्थित गांधी भवन में आयोजित की गई, बैठक में निम्नलिखित सदस्यों द्वारा भाग लिया गया:-

01	प्रो० विनय पाठक कुलपति, वमखुविवि, कोटा।	अध्यक्ष
02	डा० सुभाष चंद्र निदेशक, क्षे०के०, वमखुविवि, बीकानेर।	सदस्य
03	प्रो० पी०के० शर्मा वमखुविवि, कोटा।	सदस्य
04	प्रो० कर्ण सिंह वमखुविवि, कोटा।	सदस्य
05	प्रो० (श्रीमती) कमलेश शर्मा, वमखुविवि, कोटा।	सदस्य
06	प्रो० जे० के०शर्मा वमखुविवि, कोटा।	सदस्य
07	प्रो० याकूब अली खान, वमखुविवि, कोटा।	सदस्य
08	प्रो० एच०बी० नंदवाना वमखुविवि, कोटा।	सदस्य
09	प्रो० बी० अरुण कुमार, वमखुविवि, कोटा।	सदस्य
10	प्रो० दिनेश गुप्ता, वमखुविवि, कोटा।	सदस्य
11	डॉ० आर० के० जैन सह आचार्य वमखुविवि, कोटा।	सदस्य
12	डा० योगेश शर्मा, सह आचार्य, वमखुविवि, कोटा।	सदस्य
13	डॉ० (श्रीमती) क्षमता चौधरी सहा० आचार्य, वमखुविवि, कोटा।	सदस्य
14	डॉ० (श्रीमती) मीता शर्मा सहा० आचार्य, वमखुविवि, कोटा।	सदस्य
15	डा० सुबोध कुमार, सह आचार्य, वमखुविवि, कोटा।	सदस्य
16	डा० रजनी रंजन सिंह सह आचार्य, वमखुविवि, कोटा।	सदस्य
17	डॉ० अनुरोध गोधा सहा० आचार्य वमखुविवि, कोटा।	सदस्य
18	डॉ० श्रीमती अनुराधा दुबे सहा० आचार्य वमखुविवि, कोटा।	सदस्य
19	डॉ० कपिल गौतम सहा० आचार्य, वमखुविवि, कोटा।	सदस्य

20.	डा० आलोक चौहान सहा० आचार्य, वमखुविवि,कोटा ।	सदस्य
21.	श्री रवि गुप्ता सहा० आचार्य, वमखुविवि,कोटा ।	सदस्य
22.	श्री सुशील राजपुरोहित सहा० आचार्य, वमखुविवि,कोटा ।	सदस्य
23.	डा० श्रीमती सरिता गौतम सहा० आचार्य, वमखुविवि,कोटा ।	सदस्य
24.	डा० सुनील कुमार जांगीड़ सहा० आचार्य, वमखुविवि,कोटा ।	सदस्य
25.	श्री संदीप हुड्डा सहा० आचार्य, वमखुविवि,कोटा ।	सदस्य
26.	प्रो० विभा उपाध्याय राजा० विठ० जयपुर ।	सदस्य
27.	निदेशक, संकाय वमखुविवि,कोटा ।	विशेष आमंत्रित
28.	परीक्षा नियंत्रक वमखुविवि,कोटा ।	विशेष आमंत्रित
29.	डा० अनिल जैन सह आचार्य, वमखुविवि,कोटा ।	विशेष आमंत्रित
30.	कुलसचिव वमखुविवि,कोटा ।	सदस्य सचिव

आवश्यक गणापूर्ति के बाद कार्यसूची विवरण में प्रस्तुत प्रस्तावों पर बिंदुवार चर्चा प्रारंभ करते हुए निम्नानुसार निर्णय किए गए:—

50 / 01 विद्या परिषद की 49वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

विद्या परिषद 49वीं बैठक के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन के सम्बन्ध में सदस्यगणों द्वारा यह जानकारी चाही कि गत बैठक की प्रारंभिक चर्चा के समय स्कूल गठन के सम्बन्ध में विचार विमर्श के समय एक समिति का गठन किया गया था, जिसके आदेश जारी नहीं हुए हैं, सदस्यगणों की जानकारी के क्रम में सदन को अवगत करवाया गया कि समिति गठन के आदेश जारी कर दिए गए हैं, किंतु समिति द्वारा बैठक आयोजित कर रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है, इस जानकारी के बाद माननीय कुलपति महोदय ने व्यवस्था दी कि समिति की बैठक एक माह में आयोजित कर रिपोर्ट आगामी विद्या परिषद में प्रस्तुत की जाए।

उक्त कार्यवाही उपरांत विद्या परिषद की 49वीं बैठक के कार्यवाही विवरण को अनुमोदित किया गया।

50/02

विद्या परिषद की 49वीं बैठक के निर्णयों के क्रम में पालना प्रतिवेदन का अनुमोदन।

विद्या परिषद की 49वीं बैठक की अनुपालना प्रतिवेदन के सम्बन्ध में 49/13 (2) में क्षेत्रीय सेवा प्रभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक 1109 दिनांक 09.10.14 के अनुमोदन के साथ निर्णय किया गया कि ऐसी तहसीलें जहाँ अध्ययन केन्द्र स्थापित नहीं है अथवा स्थापित अध्ययन केन्द्रों पर पंजीकृत विद्यार्थीयों की संख्या अत्यंत कम है अथवा क्षेत्रफल एवं जनसंख्या के आधार पर नवीन अध्ययन केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता है ऐसे स्थानों पर सम्बन्धित निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्र पूर्ण औचित्य के साथ प्रस्ताव, आवेदन पत्र व निर्धारित शुल्क सहित क्षेत्रीय सेवा प्रभाग के माध्यम से नवीन अध्ययन केन्द्र खोलने हेतु माननीय कुलपति महोदय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त निर्णय संख्या 49/14(2) की अनुपालना के सम्बन्ध में भी डा० अनुरोध गोधा द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि निर्णय की पालना में आदेश क्रमांक 1207 दिनांक 12.11.14 जारी कर दिए गए है।

उक्त जानकारी के बाद सदन द्वारा कार्यवाही विवरण के साथ प्रस्तुत अनुपालना प्रतिवेदन पर संतोष व्यक्त करते हुए अनुपालना प्रतिवेदन को नोट किया गया।

50/03

आर०टी० आई० अधिनियम में निर्धारित दरों के आधार पर उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति उपलब्ध करवाने बाबत् प्रस्ताव।

प्रस्ताव पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया, विचार विमर्श के दौरान सदन को अवगत करवाया गया कि विश्वविद्यालय में वर्तमान में निर्धारित शुल्क (500/-रु प्रति प्रश्न पत्र) लेकर छात्र को स्वयं की उत्तर पुस्तिका दिखाने तथा डिजिटल प्रति दिए जाने का प्रावधान है। उक्त जानकारी के बाद सदन द्वारा यह निर्णय किया गया कि इससे भिन्न प्रावधान अपनाए जाने पर तृतीय पक्षकार का उलझाव रहेगा तथा परीक्षक एवं परीक्षा की गोपनीयता प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकती है, ऐसी स्थिति में किसी छात्र की उत्तर पुस्तिका अन्य को दिखाई जाने अथवा प्रति देने से सुचारू परीक्षा संचालन की दृष्टि से उचित नहीं है, अतः सदन द्वारा वर्तमान उपरोक्त उल्लेखित व्यवस्था यथावत रखने का अनुमोदन किया गया।

विश्वविद्यालय का कार्य अनावश्यक रूप से बढ़े नहीं इसलिए उत्तर पुस्तिका की प्रति चाहने के लिए विद्यार्थी द्वारा अपना आवेदन परीक्षा परिणाम घोषित होने के 30 दिन की अवधि में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।

50/04

प्रश्न पत्रों के प्रारूप में संशोधन का प्रस्ताव।

प्रश्न पत्र संशोधन के क्रम में परीक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक 78037 दिनांक 29.10.2014 एवं क्रमांक 10751 दिनांक 05.11.14 का अनुमोदन किया गया, किंतु मूल्य व आध्यात्मिक शिक्षा में प्रमाण पत्र कार्यक्रम (CVES)के प्रश्न पत्रों में वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही होंगे।

50/05

शिक्षकों के विभिन्न विषयों के पदों के चयन हेतु गठित की जाने वाली चयन समिति में विशेषज्ञों के पैनल के सम्बन्ध में विचार विमर्श एवं अनुमोदन का प्रस्ताव।

कंप्युटर सांइंस विषय के लिए विषय विशेषज्ञों के पैनल का अनुमोदित कर आगामी कार्यवाही हेतु कुलपति महोदय के समक्ष सुरक्षित रखा गया।

3/8

50/06 आठवें दीक्षांत समारोह के लिए डिलिटो की मानद उपाधि दिए जाने के सम्बन्ध में विचार विमर्श।

आठवें दीक्षांत समारोह में डिलिटो की मानद उपाधि प्रदान किए जाने हेतु प्रो० एच० पी० दीक्षित, पूर्व कुलपति इंदिरा गांधी राठ० मु० विविठ० एवं पदमभूषण श्री डी० आर० मेहता, संस्थपक एवं मुख्य संरक्षक, भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, जयपुर के नामों का अनुमोदन किया गया।

50/07 आठवें दीक्षांत समारोह हेतु ग्रेस पास का प्रस्ताव।

1. जिन विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम सातवें दीक्षांत समारोह के बाद घोषित हुए हैं उनमें सफल हुए छात्रों को उपाधि / डिप्लोमा प्रदान किए जाने के प्रस्ताव को सदन द्वारा अनुमोदित किया गया।
2. उक्त निर्णय के बाद जून 2013 से जून 2014 तक आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में सफल घोषित हुए परीक्षार्थी एवं उक्त अवधि में शोध कार्य पूर्ण कर चुके शोद्यार्थियों को उपाधि / डिप्लोमा प्रदान किए जाने के लिए दीक्षा कार्यक्रम में अनुसार दीक्षा प्रदान कर उपाधि / डिप्लोमा दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई तथा साथ ही यह भी निर्णय किया गया कि दीक्षांत समारोह आयोजित किए जाने से पूर्व तक शोध कार्य पूर्ण कर चुके शोद्यार्थियों को भी दीक्षांत समारोह में उपाधि जारी कर दी जाए।

50/08(1) कंप्युटर विज्ञान विषय में Ph.D. Course Work 2014 में प्रवेशित शोध छात्रों के निर्देशक बाबत् प्रस्ताव।

Ph.D. Course Work 2014 में प्रवेशित शोध छात्रों के निर्देशन हेतु डा० हरीश शर्मा, हाल पदस्थापन, सह आचार्य, राज० विविठ० कोटा को ही शोध निर्देशक बनाए रखने का निर्णय किया गया।

50/08(2) निर्धारित अवधि में शोध कार्य पूर्ण नहीं करने वाले छात्रों के पंजीकरण रद्द करने बाबत् प्रस्ताव।

निर्धारित अवधि में शोध कार्य पूर्ण नहीं करने वाले छात्रों के नाम जिनके आगे दिनांक अंकित है के पंजीकरण रद्द किए जाने का निर्णय किया गया।

50/08(3) इन्फिलबनेट, (य०जी०सी०) गांधीनगर एवं विविठ० के पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग के साथ आपसी सहयोग के सम्बन्ध में दिनांक 03 नवंबर 2014 को आयोजित बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन एवं प्रस्ताव के बिंदु संख्या 01 एवं 02 में वर्णित बिंदुओं पर विचार।

बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन करते हुए बिंदु संख्या 01 व 02 के सम्बन्ध में सैद्वान्तिक सहमति व्यक्त की गई।

50/08(4) विश्वविद्यालय में सी.पी.डी.एल. कार्यक्रम के विद्यार्थियों को निस्केयर द्वारा ट्रेनिंग हेतु सहमति पत्र एवं आदेश की प्रति सूचनार्थ।

विश्वविद्यालय में सी.पी.डी.एल. कार्यक्रम के विद्यार्थियों को निस्केयर द्वारा ट्रेनिंग हेतु सहमति पत्र की पुष्टि करते हुए जारी किए गए आदेश को नोट किया गया।

५१३

- 50/08(5) पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नात्कोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश आहर्ता में बदलाव का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।
- पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नात्कोत्तर पाठ्यक्रम के लिए कार्यवाही विवरण के साथ प्रस्तावित प्रवेश हेतु निर्धारित नवीन योग्यताओं का अनुमोदन किया गया। उक्त नवीन आहर्ता जुलाई 2015 सत्र से लागू होगी।
- 50/08(6) हांडिक मुक्त विविद असम से लिए गए तथा विविद के पत्रकारिता विभाग द्वारा संचालित डीजेएमसी (एक वर्षीय) कार्यक्रम को जनवरी 2015 से स्थगित कर विविद द्वारा स्वयं तैयार नवीन पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जाने का प्रस्ताव।
- हांडिक मुक्त विविद असम से लिए गए तथा विविद के पत्रकारिता विभाग द्वारा संचालित डीजेएमसी (एक वर्षीय) कार्यक्रम को जनवरी 2015 से स्थगित कर विविद द्वारा स्वयं तैयार नवीन पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जाने का प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
- 50/08(7) विविद अनुदान आयोग की अधिसूचना के आधार पर पत्रकारिता विभाग के पाठ्यक्रमों के नामकरण में किए गए परिवर्तन सम्बन्धी सतत शिक्षा विद्यापीठ द्वारा जारी आदेश क्रमांक 782-91 दिनांक 13.08.14 पुष्टि हेतु।
- पत्रकारिता विभाग द्वारा संचालित बीओजे०एम०सी० एंव एम०जे०एम०सी० कार्यक्रमों के नाम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी नामकरण सूची के अनुरूप किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
- 50/08(8) सतत शिक्षा विद्यापीठ के तहत विधि विषय से सम्बन्धित तीन नवीन कार्यक्रम (पी०जी०डिप्लोमा इन साइबर लॉ, पी०जी०डिप्लोमा इन इनटेलेक्च्युअल प्रोपर्टी राइट एंव सर्टिफिकिट प्रोग्राम इन बैंकिंग एंव इनश्योरेंस) प्रारंभ करने का प्रस्ताव।
- सतत शिक्षा विद्यापीठ के तहत विधि विषय से सम्बन्धित तीन नवीन कार्यक्रम (पी०जी०डिप्लोमा इन साइबर लॉ, पी०जी०डिप्लोमा इन इनटेलेक्च्युअल प्रोपर्टी राइट एंव सर्टिफिकिट प्रोग्राम इन बैंकिंग एंव इनश्योरेंस) जुलाई 2015 से प्रारंभ किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।
- 50/08(9) सत्र जुलाई 2014 से PGDVS एंव CVC कार्यक्रम की शुल्क वृद्धि किए जाने के सम्बन्ध में जारी आदेश क्रमांक 833 दिनांक 06.08.14 अनुमोदनार्थ।
- PGDVS एंव CVEC कार्यक्रम की शुल्क वृद्धि किए जाने के सम्बन्ध में जारी आदेश क्रमांक 833 दिनांक 06.08.14 का अनुमोदन किया गया।
- 50/08(10) विश्वविद्यालय द्वारा संचालित लेटरल/एडिशनल प्रवेश को कियान्वित करने के लिए जारी निर्देश के संबंध में आदेश 1184 दिनांक 08.11.14 सदन के अनुमोदन का प्रस्ताव।
- लेटरल/एडिशनल प्रवेश को कियान्वित करने के लिए जारी निर्देश के संबंध में आदेश 1184 दिनांक 08.11.14 का अनुमोदन किया गया।

50/08(11) क्षेत्रीय सेवा प्रभाग द्वारा पूर्व में जारी आदेश संख्या 2475 दिनांक 30.10.13 में आंशिक संशोधन करते हुए विषय/प्रश्न पत्र के दो काउंसलर की बाध्यता को समाप्त करते हुए एक काउन्सलर में परिवर्तन किए जाने के संबंध में जारी आदेश क्रमांक 1108 दिनांक 09.10.14 अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद द्वारा क्षेत्रीय सेवा प्रभाग द्वारा विषय/प्रश्न पत्र के दो काउंसलर की बाध्यता को समाप्त करते हुए एक काउन्सलर में परिवर्तन किए जाने के संबंध में जारी आदेश क्रमांक 1108 दिनांक 09.10.14 का अनुमोदन किया गया।

50/08(12) अंग्रेजी विभाग द्वारा पूर्व संचालित तीन कार्यक्रमों को जुलाई 2015 से स्थगित करने एवं एक नवीन कार्यक्रम (PGDE) प्रारंभ करने का प्रस्ताव निर्णयार्थ।

सदन द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

50/08(13) योग से सम्बन्धित पूर्व संचालित तीन कार्यक्रम जुलाई 2015 से स्थगित कर 02 नवीन कार्यक्रम जनवरी 2015 से प्रारंभ करने का प्रस्ताव निर्णयार्थ।

प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान डा० क्षमता चौधरी द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि प्रस्ताव में उल्लेखित नवीन कार्यक्रम डिप्लोमा इन योगा एवं आयुर्वेद का सही नाम डिप्लोमा इन योगा एवं आयुर्वेद पंचकर्म है, तथा इसी प्रकार इस कार्यक्रम को कोड भी DYN के स्थान पर DYB है उक्त जानकारी के बाद डा० चौधरी के बताए संशोधनों का स्वीकार करते हुए सर्टिफिकेट इन योगा, सर्टिफिकेट इन आयुर्वेद एवं सर्टिफिकेट इन न्यूट्रिशन कार्यक्रम को जुलाई 2015 से स्थगित कर डिप्लोमा इन योगा एवं न्यूट्रिशन तथा डिप्लोमा इन योगा एवं आयुर्वेद पंचकर्म के नवीन कार्यक्रम जनवरी 2015 से प्रारंभ करने का अनुमोदन किया गया।

50/08(14) कर्मकांड में प्रमाण पत्र कार्यक्रम को बंद कर इनके स्थान पर डिप्लोमा इन ज्योतिषि एवं कर्मकांड प्रारंभ करने का प्रस्ताव संयोजक से प्राप्त प्रस्ताव निर्णयार्थ।

कर्मकांड में प्रमाण पत्र कार्यक्रम को बंद कर इनके स्थान पर डिप्लोमा इन ज्योतिषि एवं कर्मकांड प्रारंभ करने का प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

50/08(15) जनवरी 2015 /जुलाई 2015 सत्र से, कम छात्र संख्या वाले कार्यक्रमों को स्थगित करने का प्रस्ताव।

जुलाई 2015 सत्र से 20 से कम छात्र संख्या वाले कार्यक्रमों को स्थगित किए जाने का निर्णय किया गया।

50/08(16) स्पेशल एज्युकेशन में शोध कार्य प्रारंभ करवाए जाने बाबत् निदेशक शिक्षा विद्यापीठ का प्रस्ताव निर्णयार्थ।

स्पेशल एज्युकेशन में शोध कार्य प्रारंभ करवाए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

50/08(17) एम० एस० सी० भौतिक शास्त्र का कार्यक्रम प्रारंभ करने बाबत् प्रस्ताव निर्णयार्थ।

एम० एस० सी० भौतिक शास्त्र का कार्यक्रम प्रारंभ करने के सम्बन्ध में अध्ययन सामग्री की उपलब्धता के सम्बन्ध में डा० अनुराधा दुबे द्वारा सदन के समक्ष स्थिति स्पष्ट किए

६/४

जाने के बाद उक्त कार्यक्रम को जनवरी 2015 से प्रारंभ किए जाने की स्वीकृति, नवीन पाठ्यक्रम संरचना, प्रवेश योग्यता एवं परीक्षा पद्धति को विश्वविद्यालय में वर्तमान स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के समकक्ष करने के निर्देश के साथ प्रदान की गई।

50/08(18) एम० एस०सी० प्राणी शास्त्र पूर्वार्द्ध एवं उत्तरार्द्ध की नवीन पाठ्यक्रम संरचना सदन के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

एम० एस०सी० प्राणी शास्त्र पूर्वार्द्ध एवं उत्तरार्द्ध की नवीन पाठ्यक्रम संरचना को जनवरी 2015 से प्रारंभ किए जाने की स्वीकृति, नवीन पाठ्यक्रम संरचना, प्रवेश योग्यता एवं परीक्षा पद्धति को विश्वविद्यालय में वर्तमान स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के समकक्ष करने के निर्देश के साथ प्रदान की गई।

50/08(19) एम० एस०सी० वनस्पति शास्त्र पूर्वार्द्ध एवं उत्तरार्द्ध की नवीन पाठ्यक्रम संरचना सदन के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

एम० एस०सी० वनस्पति शास्त्र पूर्वार्द्ध एवं उत्तरार्द्ध की नवीन पाठ्यक्रम संरचना को जनवरी 2015 से प्रारंभ किए जाने की स्वीकृति, नवीन पाठ्यक्रम संरचना, प्रवेश योग्यता एवं परीक्षा पद्धति को विश्वविद्यालय में वर्तमान स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के समकक्ष करने के निर्देश के साथ प्रदान की गई।

50/08(20) डी०सी०एम० श्रीराम लि�० कोटा द्वारा छात्रवृत्ति दिए जाने के प्रस्ताव एवं इनकी क्रियान्विति सम्बन्धी नियमों के अनुमोदन सम्बन्धी प्रस्ताव।

डी०सी०एम० श्रीराम लि�० कोटा द्वारा छात्रवृत्ति दिए जाने के प्रस्ताव का अवलोकन कर छात्रवृत्ति दिए जाने के प्रस्ताव एवं इनकी क्रियान्विति सम्बन्धी नियमों को अनुमोदित किया गया।

50/08(21) दीक्षांत समारोह में ड्रेस कोड परिवर्तन के सम्बन्ध में विचार विमर्श।

दीक्षांत समारोह सम्बन्धी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार शोल्डर रोब्स एवं रोब्स के निर्धारित रंग पूर्वानुसार ही रखे जाने का निर्णय किया गया। दीक्षांत समारोह के दौरान पहनी जाने वाली ड्रेस के सम्बन्ध में निर्णय किया गया कि छात्रों हेतु सफेद कुर्ता पायजामा, छात्राओं हेतु नारंगी कलर की चुनरी की साड़ी तथा पुरुष शिक्षकों के लिए क्रीम कलर के जोधपुरी सूट एवं महिला शिक्षकों के लिए केसरिया रंग की साड़ी निर्धारित की गई।

50/08(22) छात्र अनिता त्यागी को एम०ए० हिन्दी की उपाधि देने अथवा विकल्प के रूप में मर्सी परीक्षा सम्बन्धी प्रस्ताव।

परीक्षा नियंत्रक द्वारा सदन को संपूर्ण तथ्यों की जानकारी से अवगत करवाने के बाद सदन द्वारा निर्णय किया गया कि छात्र अनिता त्यागी को एम०ए० हिन्दी कार्यक्रम के प्रश्न पत्र "निबंध" को पूर्ण करने हेतु मर्सी परीक्षा दिसंबर 2014 अथवा जून 2015 में दिए जाने का अवसर प्रदान किया जाए तथा इस मर्सी परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर छात्र को उपाधि प्रदान की जाए मर्सी परीक्षा करने के लिए आवश्यक व्यवस्था यथा प्रश्न पत्र हेतु सिलेबस, परीक्षा का स्थान दिनांक इत्यादि के लिए परीक्षा नियंत्रक को अधिकृत किए जाने का भी निर्णय लिया गया।

३६५

८/८

50/08(23) परीक्षा आयोजन एवं मूल्यांकन के सम्बन्ध में निर्मित विभिन्न नियमों को विद्या परिषद के समक्ष सूचनार्थ का प्रस्ताव।

परीक्षा आयोजन एंव मूल्यांकन सम्बन्धी नियमों का अवलोकन कर अनुमोदित किया गया।

50/08(24) उर्दू विषय में स्नातकोत्तर कार्यक्रम प्रारंभ करने का प्रस्ताव निर्णयार्थ।

उर्दू विषय में स्नातकोत्तर कार्यक्रम प्रारंभ किए जाने के सम्बन्ध में प्रो० याकूब अली खान द्वारा सदन को अवगत करवाया कि प्रारंभ में इसका पाठ्यक्रम मौलाना आजाद विठ्ठि० हैदराबाद से क्रय किया जाएगा, अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रो० याकूब अली जो को निर्देशित किया कि इस हेतु सम्बन्धित विठ्ठि० से एम०ओ०य० की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण की जाए, इसके उपरांत सदन द्वारा जुलाई 2015 के प्रवेश सत्र से कार्यक्रम प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

तत्पश्चात् आसन के प्रति धन्यवाद ज्ञापन करने के साथ बैठक समाप्त घोषित की गई।


कुलसूचिव
एवं सदस्य सचिव (विद्या परिषद)